कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) अधिनियम, 1937
(1937 का अधिनियम सं0-1)(1986 ÿÖक□µÖ£ÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê×¬ÖŸÖ)

कृषि एवं अन्य उपज के श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन का उपबंध करने वाला अधिनियम ।

चूंकि कृषि एवं उपज के श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन हेतु उपबंध किया जाना आवश्यक है अतः इसे निम्न रुपेण अधिनियममित किया जाता है ।

1. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार

(1) इस अधिनियम का नाम कृषि उपज (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 है ।

(2) यह सम्पूर्ण भारत में लागू होगा ।

2. व्याख्या

इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो,

(क) 'कृषि उपज' में कृषि या उद्यान कृषि की सभी उपज ऐसी उपज से पूर्णतः या अंशतः निर्मित सभी खाद्य एवं पेय पदार्थ और जानवरों की ऊन एवं चमड़े अंतर्विष्ट हैं;

(ख) 'जाली' शब्द का वही अर्थ है जो भारतीय दण्ड संहिता (1960 का XLV) की धारा 28 में अभिप्रेत है;

(ग) 'आवरक' के अन्तर्गत बरतन, बक्सा, टोकरा, रैपर, ट्रे या अन्य आधान शामिल हैं;

(घ) 'श्रेणीकरण अभिधान' से किसी अधिसूचित वस्तु की गुणता को सूचक के रुप में विहित अभिधान अभिप्रेत है;

(ड.) 'श्रेणीकरण अभिधान चिह्न' से विशिष्ट श्रेणीकरण अभिधान के परिचायक के रुप में विहित चिह्न अभिप्रेत है;

(च) किसी पदार्थ के परिप्रेक्ष्य में 'क्वालिटी' से वस्तु की स्थिति एवं दशा अभिप्रेत है;

(छ) 'विहित' का अभिप्राय इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है;

(ज) 'अनुसूचित वस्तु' से इस अनुसूची में शामिल की गई वस्तु अभिप्रेत है;

(झ) कोई वस्तु श्रेणी अभिधान चिह्न से चिह्नांकित कही जाती है अगर उस पर या उसके आवरक या लेबल पर श्रेणी अभिधान चिह्न लगा हुआ हो;

(ण) वस्तु गलत ढंग से श्रेणीकृत की हुई कही जा सकती है, अगरः-

(i) वस्तु में वह गुणवत्ता न हो जो उस पर लगे श्रेणी अभिधान के लिए विहित है;

(ii) इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुरुप विश्लेषण एवं श्रेणी अभिधान के निर्धारण हेतु नमूना लेने के पश्चात श्रेणीकरण हेतु दिए गए वस्तु के संघठन में किसी तरह का परिवर्तन कर दिया जाए;

(iii) वस्तु में किसी भी ढंग से अप-परिवर्तन कर दिया जाए; और

(iv) लेबल के आधार पर या विज्ञापन व अन्य माध्यमों से, इसके श्रेणी अभिधान के लिए निर्धारित गुणता का झूठा दावा करना ।

3. श्रेणी अभिधानों का निर्धारण

(1) केन्द्र सरकार राजपत्र में पहले अधिसूचना प्रकाशित करवाने के बाद इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) मुख्य रुप से एवं पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी मामले के लिए उपबंध हो सकता हैः-

(क) किसी अधिसूचित वस्तु की क्वालिटी को सूचित करने के लिए श्रेणी अभिधान का निर्धारण ।

(ख) प्रत्येक श्रेणी अभिधान द्वारा सूचित क्वालिटी को परिभाषित करना ।

(ग) विशेष श्रेणी अभिधानों के सूचक श्रेणी अभिधान चिह्नों का विशेष रुप से उल्लेख करना ।

(घ) विहित किसी शर्त के अध्यधीन किसी वस्तु या उसके आधान या उस वस्तु पर लगे लेबल पर उसके लिए निर्धारित श्रेणी अभिधान चिह्न लगाने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को प्राधिकृत करना;

(ड.) किसी वस्तु की विपणन पद्धति, पैकिंग के ढंग तथा प्रयोग में लाए जाने वाले आवरक के प्रकार एवं वस्तु का वजन, संख्या या अन्य बातें जो प्रत्येक आवरक में शामिल की जानी होती है, सहित धारा 'घ' उल्लिखित शर्तों का विशेष रुप से उल्लेख करना;

(च) श्रेणी अभिधान की प्रतिकृति के लिए आवश्यक उपकरण के निर्माण व प्रयोग या श्रेणी अभिधान चिह्न से चिह्नांकित किसी आवरक व लेबल के निर्माण या प्रयोग व वस्तुओं के नमूनों की जांच एवं निरीक्षण सहित श्रेणी अभिधान चिह्न से चिह्नांकित वस्तुओं के गुण नियंत्रण के उपायों या ऐसी किसी भी प्रकार की वस्तुओं की बिक्री के संवर्द्धन हेतु किये गए प्रचार कार्य पर आए खर्च के भुगतान का प्रबंध करना;

(छ) श्रेणी अभिधान चिह्न से चिह्नांकित उन वस्तुओं को जब्त करके विक्रय का प्रबंध करना जो विहित शर्तानुसार चिह्नांकित न की गई हो;

(ज) अन्य मामले जिन्हें विहित किया जाना चाहिए या किए जा सकते हैं ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संसद के हर एक सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो समवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के लिए, जिसमें वह ऐसे रखा हो, या ठीक पश्चातवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यथास्थिति, वह नियम ऐसे उपान्तरित रुप में ही प्रभावशाली होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

3.क प्रवेश, निरीक्षण एवं तलाशी करने का अधिकार

(1) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी प्राधिकरण के केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत राजपत्रित स्तर या इसके समकक्ष स्तर के अधिकारी को अगर यह लगे कि इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी उपबंध का उल्लघंन किया गया या किया जा रहा है तो वह किसी उपयुक्त समय पर किसी भी भवन में प्रवेश करके उस कृषि उपज का आवश्यक निरीक्षण एवं तलाशी कर सकता है जिसके संदर्भ में ऐसा उल्लघंन किया गया है या किया जा रहा है;

(2) उपधारा (1) के तहत बनाया गया प्रत्येक प्राधिकार दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 93 के अनुसार वारंट समझा जाएगा ।

3.ख प्राधिकृत अधिकारी का कृषि उपज जब्त करने संबंधी अधिकार

(1) धारा 3क की उपधारा (1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी उस कृषि उपज को जब्त कर या रोक सकता हे जिसके संदर्भ में इस अधिनिय या इसके तहत बने नियमों के अंतर्गत अपराध कर रहा हो या ऐसा प्रतीत हो या ऐसे अपराध में उसके प्रयोग की संभावना हो;

परन्तु इस उपधारा के तहत जब्त कृषि उपज अगर शीघ्र या स्वाभाविक रुप से नष्ट होने वाली हो तो प्राधिकृत अधिकारी उसे यथाविहित ढंग से बेच सकता है;

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 102 का उपबंध इस धारा के तहत की गई प्रत्येक जब्ती पर लागू होगा ।

4. अप्राधिकृत रुप से श्रेणी अभिधान चिह्न लगाने के लिए दंड

धारा (3) के अंतर्गत बने नियम के अनुसार किसी अनुसूचित वस्तु को अप्राधिकृत रुप से श्रेणी अभिधान चिह्न से चिह्नांकित करने वालों को दंडस्वरुप छः महीने तक का कारावास और पांच हजार रुपए तक जुर्माना हो सकता है ।

5. जाली श्रेणी अभिधान चिह्न के लिए दंड

जाली श्रेणी अभिधान चिह्न का प्रयोग करना या इस निमित्त डाई, प्लेट या अन्य उपकरण रखना दंडनीय अपराध है जिसके लिए तीन वर्ष तक का कारावास एवं पांच हजार रुपए तक जुर्माना हो सकता है ।

5.क गलत श्रेणीकृत की हुई वस्तुओं के विक्रय के लिए दण्ड

गलत श्रेणीकृत की हुई अनुसूचित वस्तु को बेचना दंडनीय अपराध है जिसके छः महीने तक का कारावास और पांच हजार रुपए तक जुर्माना हो सकता है ।

5.ख कुछ वस्तुओं के संदर्भ में अनिवार्य श्रेणी अभिधान निर्धारित करने का अधिकार

(1) अगर केन्द्र सरकार की यह राय हो कि जनहित में या उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए श्रेणी अभिधान चिह्न से चिह्नांकित किए बिना किसी अनुसूचित वस्तु या वस्तुओं की श्रेणी को बेचा या वितरित किया जाना चाहिए तो वह राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से इस आशय की घोषणा कर सकती है;

(2) उपधारा (1) के तहत जारी की गई अधिसूचना में यह विशेष रुप से उल्लेख करें कि यह किस क्षेत्र या किन क्षेत्रों में लागू होगा;

(3) किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के संबंध में उपधारा (1) के तहत अगर अधिसूचना जारी कर दी जाती है तो अनुसूचित वस्तु या उस वर्ग की वस्तुओं का विक्रय या वितरण केवल इस अधिनियम के उपबंधों या इसके तहत बने नियमों के तहत ही किया जाएगा;

(4) इस धारा के उपबंधों का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति को छः महीने तक के कारावास की सजा दी जाएगी एवं पांच हजार रुपए तक जुर्माना किया जाएगा ।

5.ग अभियोजन संस्थान

इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की सुनवाई किसी न्यायालय में तब तक नहीं होगी जब तक कि इस संदर्भ में निम्नलिखित द्वारा लिखित रुप में शिकायत न की गई होः-

(क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या उसके द्वारा लिखित रुप से प्राधिकृत कोई अधिकारी;

(ख) अपकृत व्यक्ति; या

(ग) "मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ" चाहे अपकृत व्यक्ति उस संघ का संदस्य हो या नहीं ।

व्याख्या

इस धारा में उल्लिखित से "मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ" कम्पनी अधिनियम, 1956 या सम्पत्ति मौजूदा कानून के तहत पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ अभिप्रेत है ।

6. अधिनियम के विनियोग का विस्तार

प्रभावित होने वाले के हितों को ध्यान में रखते हुए यथोचित परामर्श के बाद केन्द्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा कर सकती है कि इस अधिनियम के उपबंध उन कृषि वस्तुओं पर भी लागू होते हैं जो अनुसूची में शामिल नहीं की गई या वह वस्तु कृषि उपज नहीं है । अधिसूचना के प्रकाशित होने के बाद ऐसी वस्तु भी अनुसूची में शामिल मानी जाएगी ।

---

1. कृषि उपज (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का अधिनियम सं0-1
2. कृषि उपज (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) संशोधन अधिनियम, 1942 (1942 का अधिनियम सं0-XIII)
3. कृषि उपज (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) संशोधन अधिनियम, 1943 (1943 का अधिनियम सं0-XX)
4. प्रत्यायुक्त कानून उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1983
5. कृषि उपज (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) संशोधन अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम सं0-86)

कृषि उपज (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की संलग्न सूची

(खंड 2 देखें)

1.	फल	
2.	सब्जी	
3.	अंडे	
4.	डेरी उत्पाद	
5.	तम्बाकू	
6.	कॉफी	
7.	खाल और चमड़ी	
	प्राधिकरण	
8.	फल उत्पाद	भारत सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भूमि विभाग, अधिसूचना सं0एफ0-57-18/39-ए, दिनांक 23 मार्च, 1939
9.	आटा	
10.	तिलहन	
11.	वनस्पति तेल (जिसमें हाइड्रोजिनेटिड तेल और वनस्पति वसा शामिल है ।	
12.	कपास	
13.	चावल	
14.	लाख	भारत सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भूमि विभाग, अधिसूचना सं0एफ0-57-18/39-ए, दिनांक 10 अक्तूबर, 1939
15.	गेहूं	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भूमि विभाग, अधिसूचना सं0एफ0-3-9(1)/41-ए, दिनांक 17 मार्च, 1941
16.	जूट (सनहेम्प)	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भूमि विभाग, अधिसूचना सं0एफ0-3-9(1)/41-ए, दिनांक 21 अप्रैल, 1941
17.	गन्ना (गुड़)	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भूमि विभाग, अधिसूचना सं0एफ0-3-26(5)/41-ए, दिनांक 16 फरवरी, 1942
18.	हर्र (माइरोबालन्स)	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भूमि विभाग, अधिसूचना सं0एफ0-4-3/42-ए, दिनांक 11 जून, 1942
19.	बूरा	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भूमि विभाग, अधिसूचना सं0एफ0-3-26/41-ए, दिनांक 5 अगस्त, 1942
20.	ऊन और बकरी के बाल	कृषि मंत्रालय, अधिसूचना सं0एफ0-5-18/48-स., दिनांक 6/13 अगस्त, 1948
21.	दृढ़लोम	कृषि मंत्रालय, अधिसूचना सं0एफ0-4-5/50-चिह्नांकन दिनांक 25 नवम्बर, 1950
22.	रेजिन एवं टरपेनटाइन	खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि), अधिसूचना सं0एफ0-4-3/51-निदेशालय/II (एम), दिनांक 10 मई, 1951
23.	सुपारी	खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि), अधिसूचना सं0एफ0-4-4/51-निदेशालय/II (एम), दिनांक 25 मई, 1951
24.	सुगंधित तेल	खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि), अधिसूचना सं0एफ0-5-86/52-निदेशालय/II (एम), दिनांक 22 जनवरी, 1954

25.	काजू गिरी	खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि), अधिसूचना सं0एफ0-25-1/54-निदेशालय/II, दिनांक 22 अप्रैल, 1954
26.	इलायची	
27.	काली मिर्च	
28.	अदरक	
29.	शहद	खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि), अधिसूचना सं0एफ0-5-31/55-ए.एम., दिनांक 14 सितम्बर, 1955
30.	करी पाउडर	खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि), अधिसूचना सं0एफ0-5/21/55-ए.एम., दिनांक 19 जनवरी, 1956
31.	सेमल की रुई	खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि), अधिसूचना सं0एफ0-14-48/56-ए.एम., दिनांक 31 मई, 1956
32.	कच्चा जूट	खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), अधिसूचना सं0एफ0-14-45/56-ए.एम., दिनांक 11 सितम्बर, 1957
33.	धान	खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), अधिसूचना सं0एफ0-5-34/57-ए.एम., दिनांक 15 मई, 1958
34.	बाजरा	
35.	मेस्टा	
36.	मिर्च	
37.	हल्दी	
38.	टैपियोका चिप्स और टैपियोका आटा	खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), अधिसूचना सं0एफ0-14-44/57-ए.एम., दिनांक 16 जून, 1958
39.	सिसल और अलॉय फाइबर	खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), अधिसूचना सं0एफ0-14-221/58-ए.एम., दिनांक 17 मार्च, 1959
40.	खली	खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), अधिसूचना सं0एफ0-5-3/50-ए.एम., दिनांक 20 जून, 1959
41.	दालें	खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), अधिसूचना सं0एफ0-14-134/60-ए.एम., दिनांक 9 नवम्बर, 1960
42.	अखरोट	
43.	पशु अंतड़ियां (पशु भैंस, भेड, बकरी और सुअर	
44.	ग्वार गम	
45.	कराया गम	
46.	सनाय की पत्ती और फली	
47.	खजूर का रेशा	
48.	कत्था	
49.	तेंदू पत्ता	
50.	सिंघाड़ा	खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), अधिसूचना सं0एफ0-17-15/63-ए.एम., दिनांक 23 जुलाई, 1963
51.	खाद्य मशरुम	खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, सी.डी. और कोआपरेटिव (कृषि विभाग) अधिसूचना सं0एफ0-17-22/63-ए.एम., दिनांक 11 सितम्बर, 1963
52.	खस-खस	खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), अधिसूचना सं0एफ0-17-27/63-ए.एम., दिनांक 3 अक्तूबर 1963
53.	काजू के छिलके का तेल (तरल)	खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), अधिसूचना सं0एफ0-17/63-ए.एम., दिनांक 25 फरवरी, 1964
54.	मक्खी मोम (बी-वैक्स)	खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), अधिसूचना सं0एफ0-17-16/64-ए.एम., दिनांक 28 अगस्त, 1964

55.	चना (सिसर एरिटिनम एल.)	खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), अधिसूचना सं0एफ0-17-28/64-ए.एम., दिनांक 1 मई, 1965
56.	ज्वार (शोरगम वलगेयर पर्स)	
57.	मक्का (जी मेस एल.)	
58.	जौं (होरडियम वलगेयर एल.)	
59.	रागी (इल्यूसिन कोराकाना गेटर्न)	
60.	बाजरा (पेनिसेटम टाइफोडेस स्टप्फ और हब्बार्ड	
61.	शिकाकाई पाउडर	खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), अधिसूचना सं0एफ0-15-28/65-ए.एम., दिनांक 4 सितम्बर, 1965
62.	मीट चिकन और ड्रेस्ड चिकन मीट	खाद्य एवं कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग), अधिसूचना सं0एफ0-15-7/66-ए.एम., दिनांक 17 जनवरी, 1967
63.	केसर	खाद्य एवं कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग), अधिसूचना सं0एफ0-13-26/69-एल.ए., दिनांक 29 अप्रैल, 1969
64.	सोयाबीन	खाद्य एवं कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग), अधिसूचना सं0एफ0-13-26/69-एल.ए., दिनांक 5/6 नवम्बर, 1969
65.	सूखी घास	खाद्य एवं कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग), अधिसूचना सं0एफ0-13-18/69, दिनांक 8 नवम्बर, 1969
66.	भैंस के बाल	खाद्य एवं कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग), अधिसूचना सं0एफ0-13-22/69-एल.ए., दिनांक 18 नवम्बर, 1967
67.	इमली और इमली के उत्पाद	खाद्य एवं कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग), अधिसूचना सं0एफ0-13-30/69-एल.ए., दिनांक 14 जनवरी, 1970
68.	संयोजित हींग	खाद्य एवं कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग), अधिसूचना सं0एफ0-13-3/70-एल.ए., दिनांक 4 जुलाई, 1970
69.	बेसन	खाद्य एवं कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग), अधिसूचना सं0एफ0-13-12/71-एल.ए., दिनांक 19 फरवरी, 1972
70.	पपेन	कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) अधिसूचना सं0-13-2/72-सी. एंड एम., दिनांक 9 सितम्बर, 1972
71.	नारियल (खोपड़ी सहित)	कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) अधिसूचना सं0-13-5/72-सी. एंड एम., दिनांक 21 अक्तूबर, 1972
72.	सूजी और मैदा	कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) अधिसूचना सं0-13-2/73-ए.एम., दिनांक 31 जनवरी, 1974
73.	चाय	कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) अधिसूचना सं0-13-2/74-ए.एम., दिनांक 5 अप्रैल, 1974
74.	अगर-अगर	कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) अधिसूचना सं0-13-9/72-ए.एम., दिनांक 21 जून, 1974
75.	ईसबगोल की भूसी	कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) अधिसूचना सं0-13-4/73-ए.एम., दिनांक 29 जून, 1974

76.	कार्कस मीट और उसके उत्पाद	कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) अधिसूचना सं0-13-3/74-ए.एम., दिनांक 5 मार्च, 1975
77.	सागो	कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) अधिसूचना सं0-13-15/75-ए.एम., दिनांक 27/29 नवम्बर, 1976
78.	कच्चा मांस (शीतित/प्रशीतित)	एस.ओ. 1225, दिनांक 11 अप्रैल, 1977
79.	कोकोआ बीन्स और इसका पाउडर	ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय, अधिसूचना सं0-10-16/81, दिनांक 16 दिसम्बर, 1981
80.	धनिया	ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, सा.का.नि. 684(ई), दिनांक 6 नवम्बर, 1998
81.	सफेद जीरा	
82.	सौंफ	
83.	मेथी	
84.	सेलरी	
85.	अनीसीड	
86.	बिशपवीड	
87.	कारावे	
88.	डिल	
89.	सिनामोन	
90.	केसिया	
91.	लहसुन	
92.	करी पत्ता	
93.	कोकम	
94.	मिन्ट	
95.	सरसों	
96.	पार्सले	
97.	अनारदाना	
98.	केसर	
99.	वनिला	
100.	तेजपात	
101.	पीपर लांग	
102.	स्टार अनिसे	
103	स्वीट फ्लैग	
104.	ग्रेटर गालंगा	
105.	हॉर्स रेडिस	
106.	केपर	
107.	लौंग	
108.	हींग	
109.	कम्बोज	
110.	हिसोप	
111.	जूनीपर बेरी	
112.	बे-लीफ	
113.	लोवेज	
114.	मर्जोरम	

115.	नटमेग	ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, सा.का.नि. 684(ई), दिनांक 6 नवम्बर, 1998
116.	मेस	
117.	बेसिल	
118.	खसखस	
119.	सभी मसाले	
120.	सेज	
121.	रोजमैरी	
122.	सवोरी	
123.	थाइमे	
124.	ओरेगनो	
125.	टेरागॉन	
126.	इमली	
127.	खाद्य स्टार्च	
128.	खाद्य सामान्य नमक	
129.	अमचूर	
130.	तिल के बीज	
131.	सिवैंया	कृषि मंत्रालय, सा.का.नि. 734 (ई) दिनांक 10 अक्तूबर, 2008
132.	मैकरोनी	
133.	मोटी सेंवई	
134.	मखाना	
135.	खजूर	
136.	पाम की गिरी	
137.	निबौली	
138.	नीम तेल	
139.	बादाम तेल	
140.	कट-फ्लावर	
141.	पाम जगरी	
142.	चीज स्प्रैड	
143.	पनीर	
144.	लहसुन का पेस्ट	
145.	सोया मिल्क	
146.	सोया पाउडर	
147.	ग्वार बीज	
148.	हिना और हिना पाउडर	
149.	अनाज और बाजरे का आटा	
150.	इन्सटेंट इडली मिक्स	
151.	इन्सटेंट वडा मिक्स	
152.	कॉफी पाउडर	
153.	शिकोरी और शिकोरी पाउडर	
154.	चिलगोजा	
155.	ओलियोरेजिन आफ स्पाइसिज	
156.	जिंजर पेस्ट	

157.	ऑनियन पेस्ट	कृषि मंत्रालय, सा.का.नि. 734 (ई) दिनांक 10 अक्तूबर, 2008
158.	वैफर्स बनाना	
159.	वैफर्स पोटेटो	
160.	पिस्ताकीयो	
161.	भुने हुए बंगाली चने और पाउडर	
162.	आलिव ऑयल	
163.	सत्तू	
164.	जैट्रोफा के बीज	
165.	पुआड के बीज	
166.	दलिया	
167.	सुखाई गई सब्जियां	
168.	सुखाए गए फल	
169.	खेजरी की फलियां	
170.	टमाटर का पाउडर	
171.	बेरकुट	
172.	महुआ के फूल	
173.	करंज के बीज	
174.	सूखा आंवला और पाउडर	
175.	सफेद मूसली	
176.	अश्वगंधा	
177.	शिकाकाई की फलियां	